



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**अपील संख्या: - 2362/2018**

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
ओमप्रकाश यादव 59] कल्याण पूरी] श्याम नगर मेट्रो स्टेशन के पास] सोडाला] जयपुर, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक भू-प्रबंधक अधिकारी एस टी आई. प्रशिक्षक विभाग, जयपुर

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

**निर्णय**

**दिनांक : 16-05-2018**

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री राजकुमार जैन, वरिष्ठ सहायक उपस्थित।
3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 12-07-2017 के द्वारा ग्राम श्रीनगर, व ग्राम थूनी के सम्पूर्ण नक्शों की प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 12-09-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने बताया कि मेरे द्वारा दो ग्रामों की सम्पूर्ण नक्शों की प्रति चाही गई थी, जो नहीं दी गई है। प्रत्यर्थी ने सर्वेशीट की प्रति दिये जाने के लिए शुल्क की मांग की है जबकि नक्शे की प्रति चाही गई है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी ने ग्राम श्रीनगर व थूनी के नक्शों की नकल चाही है। कार्यालय रिकॉर्ड में दोनों ग्रामों की सर्वे शीट उपलब्ध है जिसके लिए 1050 रूपये की मांग की गई जो अपीलार्थी ने जमा नहीं कराये है। कार्यालय में जो नक्शा उपलब्ध है उसकी ही प्रति उपलब्ध करा सकती है। सर्वे शीट को नक्शा कहते है। अपीलार्थी ने प्रथम अपील की जो निर्णय दिनांक 12-09-2017 से खारिज की गई है। अपीलार्थी के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 01-05-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ

पत्र दिनांक 26-07-2017, प्रथम अपील निर्णय दिनांक 12-09-2017 की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है जो बलहीन है। अपीलार्थी के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय विधि अनुसार है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)  
मुख्य सूचना आयुक्त